भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1296
03 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

मछुआरों की आजीविका का नुकसान

1296. प्रो. सौगत राय:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के लाखों मछुआरे तापमान वृद्धि और समुद्र के बढ़ते जलस्तर जैसे जलवायु परिवर्तनों के कारण अपनी आजीविका खो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के समुद्र तटों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे मछुआरों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को तापमान वृद्धि और समुद्र तल के बढ़ने जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण आजीविका के नुकसान पर कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारत सरकार के तत्वावधान में मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थाएं शमन और अनुकूलन रणनीतियों को विकसित करने के लिए जलवायु मापदंडों और मात्स्यिकी के बीच संबंध को समझने के लिए नियमित रूप से अनुसंधान कर रहे हैं।

(ख) स्टेंडअलोन सी वाल का निर्माण और तटीय सुरक्षा कार्य मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित मात्स्यिकी विकास योजनाओं के दायरे में शामिल नहीं हैं । हालांकि, फिशिंग हारबर्स और फिश लैंडिंग सेन्टर्स के विकास को प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और मात्स्यिकी एवं जल कृषि विकास निधि (एफआईडीएफ) के तहत सहायता प्रदान की जाती है और ये इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं *अन्य बातों के साथ-साथ* ब्रेकवाटर, ट्रेनिंग वाल्स, और ग्रॉयन जैसी आवश्यकता आधारित जल की ओर (वाटरसाईड) और थल की ओर (लैंडसाईड) की सुविधाओं को सपोर्ट देती हैं ताकि मुख्य रूप से मात्स्यिकी गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए आश्रय और शांत बेसिन तैयार किया जा सके एवं खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मछुआरों के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा की जा सके।

केरल के तटीय हिस्सों में मिट्टी के कटाव (सॉइल इरोशन) को दूर करने और कम करने के लिए, केरल सरकार के मात्स्यिकी विभाग ने केरल राज्य तटीय क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड (केएससीएडीसी) के माध्यम से केरल के पांच जिलों अर्थात् कासरगोड, कन्नूर, त्रिशूर, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम में तट संरक्षण उपाय किए हैं । पुदुच्चेरी सरकार ने *पिल्लैचावडी* तटीय गांव में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए लोक निर्माण विभाग के माध्यम से चट्टान की दीवार (रिवेटमेंट) की व्यवस्था की है।

(ग) और (घ): मछुआरों के प्राकृतिक आवासों को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान के बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), लाइफ-जैकेट, लाइफबॉय, अन्य जीवन रक्षक उपकरण, एक रडार रिफ्लेक्टर, फ़र्स्ट एड बॉक्स, फ्लेयर्स का एक सेट, बैकअप बैटरी, सर्च और रेसक्यू बीकन आदि जैसे सुरक्षा किटों के प्रावधान के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत धनराशि निर्धारित की है। मछुआरों और फिशिंग वेसल्स की सुरक्षा के लिए ट्रांसमीटर (डीएटी) / आटोमेटिक आईडेंटिफिकेशन सिस्टम (एआईएस) / नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन (एनएवीआईसी) / ट्रांसपोंडर आदि जैसे संचार और / या ट्रैकिंग उपकरणों के लिए भी पीएमएमएसवाई के तहत धनराशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता और मछुआरों को बीमा कवर भी पीएमएमएसवाई योजना के तहत प्रदान किया जाता है। केरल सरकार ने सूचित किया है कि वे अत्यधिक वलनेरेबल तटीय समुदाय के पुनर्वास के लिए एक प्रमुख कल्याणकारी परियोजना 'पुनरगेहम' को क्रियान्वित कर रहे हैं, जो सामाजिक -आर्थिक रूप से वंचित हैं और समुद्र तटों के विनाश के कारण अपने जीवन और आजीविका के लिए कठिनाईयां झेल रहे हैं।

*****